Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ## जिला बारां की नगर पालिका छबड़ा में सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक को 64,00/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, 17 जून, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी बारां ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक नगर पालिका छबड़ा जिला बारां ने परिवादी से उसके नगर पालिका छबड़ा के पानी के केम्परों के बिल पास कराने एवं धरोहर राशि वापस लौटाने की एवज में रिश्वत की मांग की।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी बारां को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी द्वारा नगर पालिका छबड़ा के पानी के केम्परों के बिल पास करने एवं धरोहर राशि वापस लौटाने की एवज में 9400/- रूपयें रिश्वत की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 07.05.2025 के एसीबी चौकी बारां को दी गई, जिसके पश्चात रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया आरोपी ने सत्यापन के दौरान 3000/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की, शेष राशि 6400/- रूपये के लेन देन हेतु दिनांक 12.05.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया। आरोपी ने सावधानी बरतते हुये रिश्वत राशि फोन पे से बिल पास होने के बाद प्राप्त करने को कहा। दिनांक 17.06.2025 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया आरोपी ने अपने बेटे के फोन पे पर रिश्वत राशि डालने को कहा। जिस पर परिवादी ने आरोपी के बेटे के फोन पे पर रिश्वत **6400/- रूपये** का भुगतान किया।

जिस पर एसीबी कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीणा** के सुपरविजन में एसीबी चौकी बारां के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कालू राम वर्मा** के नेतृत्व में **टीएलओ उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रेमचन्द** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री युसुफ खान सहायक कर्मचारी हाल सफाई निरीक्षक नगर पालिका छबड़ा को परिवादी से 64,00/- रूपये रिश्वत राशि जरिये फोन पे से प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।